

आदेश की क्रम सं०
और तारीख
1

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
2

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख सहित
3

Board of Revenue, Bihar, Patna

Miscellaneous Case No. 32 of 2019

Dist.: - Patna

**PRESENT :- Smt. (Dr.) Vandana Kini, I.A.S.,
Chairman-Cum-Member.**

United Bank of India

-

Petitioner/ Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors

-

Respondent/ Opp. Party

Appearance :

For the Appellant : Sri Jitendra Kumar Rai, Advocate

For the Respondent : Sri Shambhu Prasad, Spl. G.P.

ORDER

10.11.2022

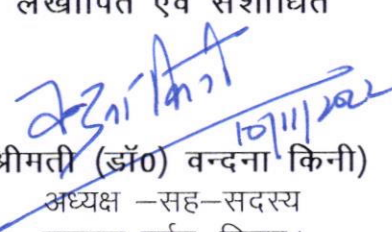
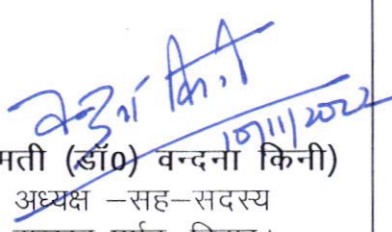
डिक्रीदार युनाईटेड बैंक आफ इन्डिया द्वारा प्रस्तुत इजराय (Execution) आवेदन एवं बिहार सरकार एवं अन्य के तरफ से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ युक्त प्रतिउत्तर का अवलोकन किया एवम् दोनों ही पक्ष के अधिवक्ताओं को धारण (Admission) के बिन्दु पर विस्तार से सुनवाई की गई।

युनाईटेड बैंक आफ इन्डिया की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जीतेन्द्र कुमार राय द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा मिसलेनियस केस संख्या 215/2004 में दिनांक 05.10.2005 को आदेश पारित कर आवेदक बैंक का रु. 5,48,14,146/- देने का बिहार सरकार को आदेश दिया गया था एवं यह भी आदेश दिया गया था कि इस राशि का भुगतान पूर्व में किये गये भुगतान की राशि का समायोजन कर भुगतान किया जाएगा।

आवेदक युनाईटेड बैंक आफ इन्डिया द्वारा विभिन्न न्यायालय में विभिन्न प्रकार के लाभ के लिए आवेदन दिया गया एवम् अन्ततः CWJC No. 4382/2009 दायर किया गया जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.08.2018 द्वारा वादी को निर्देश दिया गया कि वे सक्षम पदाधिकारी के समक्ष दिनांक 05.10.2005 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए आवेदन समर्पित करें।

वादी डिक्रीदार उक्त निदेश के आलोक में उक्त वाद को इस न्यायालय में दायर कर यह प्रार्थना किये हैं कि यह न्यायालय बिहार शुगर कारपोरेशन को बिहार सरकार

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	के द्वारा आदेश दिनांक 05.10.2005 के अनुपालन का आदेश पारित करें। परन्तु इस सम्बन्ध में विपक्षी जजमेन्ट डेब्टर द्वारा शपथ युक्त आवेदन दे कर निवेदन किया गया कि वादी डिक्रीदार द्वारा दायर यह वाद पोषणीय तथा धारित करने योग्य नहीं है एवं इसे खारिज कर दिया जाय जिसके संदर्भ में उनके द्वारा निम्न तर्क प्रस्तुत किए गए हैं—: i. यह इजराय वाद इस माननीय न्यायालय में दिनांक 20.12.2019 को दायर किया गया है। Limitation Act के Articles 136 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कोई भी इजराय वाद 12 वर्षों के अन्दर ही धारित हो सकता है। यह वाद तभी धारित हो सकता था यदि 05.10.2017 के पूर्व दाखिल किया गया होता। स्पष्टतः यह इजराय वाद पूर्णतया कालबाधित (Time barred) है। उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार ने बिहार स्टेट शुगर कारपोरेशन लिमिटेड का बिहार अधिनियम संख्या 12 दिनांक 16.12.1985 बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1985 द्वारा अपने अधीन अर्जन कर लिया है। बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1985 की धारा 9 में प्रावधान किया गया है कि संबंधित वाद का विचारण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम 5, 1908) के प्रावधान के अनुसार होगा। इस आलोक में इजराय वाद सिविल प्रक्रिया संहिता (C.P.C.) के आर्डर XXII रूल 11(2) में दिये गये format में फाईल होना चाहिये था परन्तु यह वाद उक्त format में दायर नहीं किया गया है। ii. डिक्री होल्डर बैंक ने एस0 के0 जी0 शुगर लि0, हथुआ को वितीय वर्ष 1983-84 की अवधि में दिनांक 03.01.1983 को ऋण प्रदान किया था जिसकी सूद सहित वसूली के लिए लाये गये वाद में माननीय राजस्व पर्षद द्वारा दिनांक 05.10.2005 का आदेश पारित है। Clause (i) of Sub Section 4 of Section 4 of बिहार चीनी उपक्रम (अर्जन) अधिनियम 1985 द्वारा प्रावधान किया गया है— “नियत दिन के पूर्व की अवधि के संबंध में अनुसूचित उपक्रम में हरेक दायित्व अनुसूचित उपक्रम पर स्वामित्व रखने वाली संबंधित कम्पनी का दायित्व होगा और वह ऐसी कम्पनी का दायित्व होगा और यह ऐसी कम्पनी के विरुद्ध प्रवर्तनीय होगा, न कि राज्य सरकार/निगम के विरुद्ध” iii. (क) नियम दिन के पूर्व की अवधि के संबंध में अनुसूचित उपक्रमों को कोई भी दायित्व, यथास्थिति, राज्य सरकार/निगम के विरुद्ध प्रवर्तनीय नहीं होगा। “Every liability of the scheduled undertaking in respect of any period prior to the appointed date is to be the liability of the respective	

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3
	company owning the schedule undertaking and is enforceable against such company and not against the State Government and the corporation." "4(i)(a) No liability of schedule undertaking in respect of any period prior to the appointed date, shall be enforceable against the State Government." इस प्रकार डिक्री होल्डर बैंक का ऋण दिनांक 03.01.1983 को एस० के० जी० शुगर लि० हथुआ को दिया गया था एवम् उक्त ऋण की अदायगी का दायित्व अधिनियम 1985 के प्रावधान के अन्तर्गत में बिहार सरकार पर नहीं है, जिसके कारण भी यह इजराय वाद धारित किये जाने योग्य नहीं है। डिक्री होल्डर के द्वारा अपने इजराय वाद में दिये गये ऋण एवं उसपर देय सूद का स्पष्ट रूप से कोई ब्यौरा अंकित नहीं किया गया है जिसके कारण भी यह इजराय अस्पष्ट होने के कारण वाद धारित किये जाने योग्य प्रतीत नहीं होता है। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री शम्भू प्रसाद का यह मतव्य है कि यह इजराय वाद (Execution Petition) धारित करने योग्य नहीं है एवम् इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। उभय पक्षों की सुनवाई करने तथा सभी कागजातों के अवलोकन के पश्चात यह स्पष्ट है कि यह इजराय वाद (Execution Petition) पूर्णतया कालबाधित हैं जिसके कारण विद्वान सरकारी अधिवक्ता के मतव्य से सहमत होते हुए इस इजराय वाद को खारिज किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित  (श्रीमती (डॉ०) वन्दना किनी) अध्यक्ष -सह-सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार।  (श्रीमती (डॉ०) वन्दना किनी) अध्यक्ष -सह-सदस्य राजस्व पर्षद, बिहार।	